

**LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
BULLETIN PART-II**

(General information relating to legislative & other matters)

Friday, 26th December, 2025/ 05, Paush, 1947 (Shaka)

No. 31

**COMMENCEMENT OF FOURTH SESSION (WINTER SESSION) OF THE
EIGHTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF
DELHI:**

Hon'ble Members are informed that the sitting of the Fourth Session (Winter Session) of Eighth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will be commenced from **Monday, 05th January, 2026** in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi-110054.

LIEUTENANT GOVERNOR'S ADDRESS:

Being the First Session of the year, Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi shall address the Assembly on 05th January, 2026, at 11:00 A.M. Hon'ble Members are requested to kindly be in their seat by 10.45 A.M.

Thirty minutes after Hon'ble Lieutenant Governor's departure, the duly constituted sitting of the House shall take place to transact the listed business.

**ALLOTMENT OF DAYS FOR TRANSACTION OF BUSINESS DURING FOURTH
SESSION (WINTER SESSION):**

The sittings of the Legislative Assembly have been tentatively fixed for 05th, 06th, 07th & 08th January, 2026. Subject to the exigencies of business, the sitting of the House may be extended.

TIME OF SITTING:

The sittings of the Legislative Assembly will **commence at 11.00 A.M. on 05th January, 2026 and at 02:00 P.M. on 06th, 07th & 8th January, 2026** and shall continue until the business fixed for the day is concluded. The quorum bell will be rung 05 Minutes before the time stipulated above to enable Members to take their seat.

SEATING ARRANGEMENT:

Hon'ble Members are requested to take their respective seats allotted to them in the House.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Fourth Session (Winter Session) of Eighth Legislative Assembly will be received with immediate effect.

As per the directions of Hon'ble Speaker, the Question Hour will be held on 06th, 07th and 08th January, 2026.

**ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE FOURTH
SESSION (WINTER SESSION) (RULE 37):**

For the Fourth Session (Winter Session), the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged so far as under:

S. No.	Departments	Date of Sitting	Last Date for receipt of questions for the Departments in Col.2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding of balloting for determination of priority for Oral Questions (At 5.00 PM)
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Administrative Reforms • Development • Rural Development • Education • Employment • Higher Education • Information Technology • Irrigation & Flood Control • Law, Justice & Legislative Affairs • PWD • Revenue • Training & Technical Education • Vigilance • Water (DJB) 	06.01.2026 Tuesday	29.12.2025 Monday	29.12.2025 Monday
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Art, Culture & Languages • Cooperative • DUSIB • Election • Environment • Forest & Wild Life • Excise • Finance • Food & Supplies • Food Safety • Weight & Measure • Gurudwara Election & Administration • Information & Publicity • Planning • Tourism • Trade & Taxes • Urban Development 	07.01.2026 Wednesday	29.12.2025 Monday	29.12.2025 Monday

3.	<ul style="list-style-type: none"> • Health & Family Welfare • General Administration Department • Home • Delhi Fire Services • Industries • Jail • Labour • Land & Building • Power • Services • Social Welfare • Transport • Welfare of SC, ST, OBC & Minorities • Women & Child Development 	08.01.2026 Thursday	29.12.2025 Monday	29.12.2025 Monday
----	--	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

Note:

- (1) A Member may give notice of only five questions for a given day {Rule-36 (1)}.
- (2) Each question should primarily relate to one Department only {(Rule-31 (xxii))}.
- (3) Lengthy questions and/or questions seeking information on different subjects shall be edited to conform to the Rules.
- (4) Members may kindly note that if Notice of question is received after the prescribed deadline, such a Notice shall stand disallowed. The time for receipt of Notices shall be up to 3.00 P.M. of the last date of receipt of Questions for Departments as shown in Column 4 above.
- (5) Where the Questions draws a reference to a news item published in a national or local daily, the Question in order to be admissible must be accompanied by the relevant self-attested clipping of the news items. The Questions not accompanied by such clippings are likely to be disallowed.
- (6) The clubbing of Questions will be done in case several Notices of Question on the same subject matter are received.
- (7) Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of Questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- (8) Balloting will be held in the room of the Secretary (LAS), Room No.-54, as per schedule indicated. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- (9) Members are requested to go through Chapter VII of the Rules of Procedure & Conduct of Business for further details and abide by its provisions to avoid disallowing of Notices.

SPECIAL MENTION (UNDER RULE-280):

As per direction of Hon'ble Speaker, Hon'ble Members who want to raise matters under Rule-280 may **give the Notice through NeVA portal (<https://cms.neva.gov.in/>)** of the same by 05:00 P.M. on the working day preceding the date of sitting on which the matter is proposed to be raised.

Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 Notices will be held in the room of the Secretary, Legislative Assembly at 11:00 A.M. on the day which it is proposed to be raised. Notices for Special mention (Under Rule-280) can be given for 06th, 07th & 08th January, 2026.

Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting. Hon'ble Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. Any deviation will be disallowed and treated as summarily expunged from the proceedings. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

Procedure for Notices:

- (a) Hon'ble Members are informed that, as per directions of the Hon'ble Speaker, all Notices/Questions required by the Rules shall be given only through **NeVA Portal** (<https://cms.neva.gov.in>).
- (b) Hon'ble Members who are unable to send the notices/questions through the NeVA portal are requested to approach the staff in the **Notice Branch (Room No.46) or the NeVA Sewa Kendra**, who shall assist in submitting the Notice through the portal during office hours i.e. 09.30 AM to 6.00 PM on all working days.
- (c) For the assistance of the Hon'ble Members a facilitation centre is operational at the **NeVA Sewa Kendra**. Hon'ble Members or their duly authorised Staff, may make use of this facility in case they need any assistance regarding the NeVA Portal.

VISITORS' GALLERY:

Guidelines for issuing Visitors' Gallery Passes

The following directions of the Hon'ble Speaker regarding issuance of visitors' Gallery Passes are detailed below for the kind information and compliance by Hon'ble Members:-

- i. The Hon'ble Members should recommend the names of persons for visitors' gallery only if they are personally assured about the visitors' antecedents.
- ii. Applications for passes will not be entertained unless they bear the signature and stamp of the MLA concerned and are enclosed with copies of photo I-Cards of the visitors duly attested by the concerned MLA.
- iii. Telephonic requests for issuance of passes will not be entertained.
- iv. Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5:00 PM on the working day previous to the date for which the visitors' gallery passes are required.
- v. The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes will ordinarily be issued to a Member for each sitting.
- vi. No admission cards for the visitors' gallery will ordinarily be issued on the same day.

**Ranjeet Singh
Secretary**

विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
शुक्रवार, 26 दिसम्बर, 2025/05 पौष, 1947 (शक)

संख्या-31

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र) का प्रारंभ :

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आठवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र) की बैठक सोमवार, दिनांक 05 जनवरी, 2026 से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 में प्रारंभ होगी

उपराज्यपाल का अभिभाषण:

वर्ष का प्रथम सत्र होने के कारण माननीय उपराज्यपाल दिनांक 05 जनवरी, 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे सभा को संबोधित करेंगे। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूर्वाह्न 10.45 बजे तक अपना आसन ग्रहण कर लें।

माननीय उपराज्यपाल के प्रस्थान के 30 मिनट बाद सदन की विधिवत बैठक सूचीबद्ध कार्य का निष्पादन करेगी।

चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र) के दौरान कार्य निष्पादन के लिए दिनों का आवंटन :

विधान सभा की बैठक अस्थायी तौर पर दिनांक 05, 06, 07 एवं 08 जनवरी, 2026 के लिए निर्धारित की गई हैं। कार्य की अत्यावश्यकता होने पर सदन की बैठक बढ़ायी जा सकती है।

बैठक का समय :

विधान सभा की बैठक दिनांक 05 जनवरी 2026 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तथा दिनांक 06, 07 एवं 08 जनवरी, 2026 को अपराह्न 02:00 बजे से शुरू होगी और तब तक चलेगी जब तक कि उस दिन के लिये निर्धारित कार्य समाप्त नहीं हो जाते। गणपूर्ति की घंटी नियत समय से 05 मिनट पूर्व बजेगी ताकि सदस्य अपना आसन ग्रहण कर सकें।

बैठने की व्यवस्था:

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में अपने निर्धारित आसन ग्रहण करें।

प्रश्नों की सूचनाएँ:

आठवीं विधान सभा के चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र) के लिए प्रश्नों की सूचनाएँ तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी।

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, प्रश्नकाल दिनांक 06, 07 एवं 08 जनवरी, 2026 को होगा।

चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र) के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिए दिनों का आवंटन (नियम-37):

चतुर्थ सत्र (शीतकालीन सत्र) में मंत्रियों द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है:-

क्रम सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की अंतिम तिथि (अप. 03.00 बजे तक)	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 05.00 बजे)
1	2	3	4	5
1.	<ul style="list-style-type: none"> ● प्रशासनिक सुधार ● विकास ● ग्रामीण विकास ● शिक्षा ● रोजगार ● उच्च शिक्षा ● सूचना प्रौद्योगिकी ● सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण ● विधि न्याय एवं विधायी मामले ● लोक निर्माण विभाग ● राजस्व ● प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा ● सर्तकता ● जल (दिल्ली जल बोर्ड) 	06.01.2026 मंगलवार	29.12.2025 सोमवार	29.12.2025 सोमवार
2.	<ul style="list-style-type: none"> ● कला, संस्कृति एवं भाषा ● सहकारिता ● दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ● निर्वाचन ● पर्यावरण ● वन एवं वन्यजीवन ● आबकारी ● वित्त ● खाद्य एवं आपूर्ति ● खाद्य संरक्षण ● नाप-तौल ● गुरुद्वारा चुनाव एवं प्रशासन ● सूचना एवं प्रचार ● योजना ● पर्यटन ● व्यापार एवं कर ● शहरी विकास 	07.01.2026 बुधवार	29.12.2025 सोमवार	29.12.2025 सोमवार

3	<ul style="list-style-type: none"> ● स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ● सामान्य प्रशासन विभाग ● गृह ● दिल्ली अग्निशमन सेवा ● उद्योग ● जेल ● श्रम ● भूमि एवं भवन ● ऊर्जा ● सेवाएं ● समाज कल्याण ● परिवहन ● अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण ● महिला एवं बाल विकास 	08.01.2026 वीरवार	29.12.2025 सोमवार	29.12.2025 सोमवार
---	--	----------------------	----------------------	----------------------

टिप्पणी:-

1. एक सदस्य एक दिन के लिए पांच प्रश्नों की ही सूचना दे सकेगा {नियम-36 (I)}।
2. प्रत्येक प्रश्न मुख्यतः एक ही विभाग से संबंधित होना चाहिए {नियम-31 (xxii)}।
3. अत्यधिक लम्बे प्रश्नों और/अथवा विभिन्न विषयों पर सूचना माँगने वाले प्रश्नों को नियमों के अनुकूल संपादित कर दिया जाएगा।
4. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि यदि किसी प्रश्न की सूचना निर्धारित अंतिम तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी। **सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराह्न 03.00 बजे तक है, जैसा कि कॉलम-4 में ऊपर दर्शाया गया है।**
5. जहाँ प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहाँ ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की स्व-प्रमाणित कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
6. अगर एक ही तरह के विषय पर कई प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी तो उन्हें इकट्ठा (क्लब) कर दिया जाएगा।
7. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें। यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
8. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव (विधान सभा) के कक्ष, कमरा नं० 54 में उपरोक्त निर्धारित समयानुसार की जायेगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित हैं।
9. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि विस्तृत जानकारी के लिए प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के अध्याय -VII का अवलोकन करें तथा सूचनाओं के अस्वीकृत होने से बचने के लिए इसके प्रावधानों का पालन करें।

विशेष उल्लेख (नियम-280) :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार जो माननीय सदस्य नियम-280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को उठाना चाहते हैं, वे प्रस्तावित विषय की सूचना, मामला उठाने की तिथि से एक दिन पूर्व कार्यदिवस को अपराह्न 05.00 बजे तक **नेवा पोर्टल (<https://cms.neva.gov.in/>)** के

जारी.....

माध्यम से सूचना दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की परस्पर प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग उस दिन अपराह्न 11.00 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी, जिस दिन मामले को उठाया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 06, 07 एवं 08 जनवरी, 2026 के लिए विशेष उल्लेख (नियम-280) की सूचनाएँ दी जा सकती हैं।

बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए माननीय सदस्यों का स्वागत है। माननीय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय मूल पाठ से न हटें। मूल स्वीकृत पाठ से हटकर उठाए गए मामले को सदन की कार्यवाही से निकाला हुआ माना जाएगा। विषय केवल एक ही विभाग तथा एक मुद्दे से ही संबंधित होना चाहिए।

नोटिसों की प्रक्रिया :

- (क) माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार, नियमों के तहत सभी अपेक्षित नोटिस/प्रश्न केवल एन.ई.वी.ए. (नेवा) पोर्टल (<https://cms.neva.gov.in/>) के माध्यम से ही दिए जाएंगे।
- (ख) जो माननीय सदस्य एन.ई.वी.ए. (नेवा) पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजने में असमर्थ हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नोटिस शाखा (कक्ष संख्या-46) या एन.ई.वी.ए. (नेवा) सेवा केंद्र के स्टाफ से संपर्क करें, जो कार्यालय समय के दौरान सभी कार्य दिवसों में प्रातः 09.30 बजे से सायं 06.00 बजे तक पोर्टल के माध्यम से नोटिस भेजने में सहायता प्रदान करेंगे।
- (ग) माननीय सदस्यों की सहायता के लिए, एन.ई.वी.ए. (नेवा) सेवा केंद्र में सुविधा केंद्र बनाया गया है। माननीय सदस्य या उनके द्वारा अधिकृत स्टाफ, एन.ई.वी.ए. (नेवा) पोर्टल के संबंध में किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

दर्शक-दीर्घा :

दर्शक दीर्घा पास बनाने के लिए निर्देश :

दर्शक दीर्घा पास जारी करने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय के निम्नलिखित निर्देशों का विवरण माननीय सदस्यों की सूचना एवं अनुपालन हेतु नीचे दिया गया है:-

- i. माननीय सदस्य दर्शक दीर्घा के लिए आगंतुकों के नामों का अनुमोदन तभी करें, जब वे आगंतुकों के पूर्ववृत्त के संबंध में व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट हों।
- ii. दर्शक दीर्घा पास बनवाने के लिए प्रार्थना-पत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक उनपर संबंधित विधायक के हस्ताक्षर तथा मोहर न हो तथा आगंतुकों के फोटो पहचान पत्र की विधायक द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न न हो।
- iii. पास जारी करने के लिए टेलिफोन पर किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- iv. जिस दिन के लिए दर्शक दीर्घा का पास चाहिए, उसका आवेदन पत्र उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व अपराह्न 05:00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किया जाए।
- v. दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक पास जारी नहीं किए जाएंगे।
- vi. दर्शक दीर्घा के लिए पास सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

रंजीत सिंह
सचिव